107

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1776-एक/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 31-05-2006 -पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 68/2005-06 निगरानी

1- महेश कुमार 2- ध्रुवकुमार
3- बृजेश कुमार पुत्रगण रामसेवक
ग्राम नयागॉव तहसील व जिला भिण्ड -- आवेदकगण

विरूद्ध

1- हरीराम 2- रामसेवक
दोनों पुत्रगण रामचरन ग्राम नयागॉव
तहसील व जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 17 - 2 - 2016 को पारित)

यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 68/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-5-06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम नयागॉव स्थित भूमि सर्वे कमांक 332, 349, 391, 427, 474 कुल किता 5 कुल रकबा 1.24 हैक्टर के भूमिस्वामी रामसनेही पुत्र रामचरण थे जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल

कमांक 5 पर प्रविष्टि दिनांक 20-12-03 पर ग्राम पंचायत नयागॉव के प्रस्ताव/ठहराव कमांक व्दारा आदेश दिनांक 27-1-2004 से मृतक के वारिस अनावेदकगण का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील कमांक 54/04-05 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 24-10-2005 व्दारा नामांत्रण आदेश दिनांक 27-1-2004 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार भिण्ड की ओर बसीयत की प्रमाणिकता की जांच हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 68/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 31-5-06 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 24-10-05 निरस्त किया गया एंव ग्राम पंचायत व्दारा किया गया नामांत्रण आदेश दिनांक 27-1-2004 यथावत् रखा गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि भूमिस्वामी रामसनेही पुत्र रामचरण के नाम की ग्राम नयागॉव स्थित सर्वे कमांक 332, 349, 391, 427, 474 कुल किता 5 कुल रकबा 1.24 हैक्टर भूमि उनकी मृत्यु उपरांत सामिलाती खाते की भूमि होने से हरीराम पुत्र रामचरण ने वारिस के आधार पर नामान्तरण का आवेदन ग्रामसभा नयागॉव में दिया है जिस पर से ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 5 पर

प्रविष्टि दिनांक 20-12-03 पर ग्राम पंचायत नयागॉव ने प्रस्ताव/ठहराव क्रमांक 9 पारित कर आदेश दिनांक 27-1-2004 से मृतक के वारिस अनावेदकगण का नामान्तरण किया। नामांत्रण के पूर्व जब इस्तहार का प्रकाशन किया गया, किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर नामान्तरण किया है, जबकि दोनों ही पक्षकार ग्राम नयागॉव के निवासी हैं एंव दोनों ही पक्षकारों को रामसनेही पुत्र रामचरण के नाम भूमि होने की तथा मरने की जानकारी रही है किन्तु समय रहते आवेदकगण ने स्वयं के हित में नामान्तरण की कार्यवाही क्यों नहीं की एंव सक्षम अधिकारी को नामान्तरण आवेदन क्यों नहीं दिया - आवेदकगण के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके और इन्हीं कारणों से विद्वान अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 68/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-5-06 से अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के त्रृटिपूर्ण आदेश को निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 68/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-5-06 विधिवत् पाये जाने से स्थिर रखा जाता है एंव निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर